बिहार बागवानी विकास सोसाईटी, पटना
(बिहार राज्य बागवानी मिशन)

2nd Floor, Pant Bhawan, Bailey Rd., Patna-800001, Phone+Fax : 0612-2215215, e-mail : md-hort-bih@nic.in, website : www.horticulture.bih.nic.in

पत्र संख्या : NHM/BHDS/293/2011 - 706/NHM, पटना, दिनांक : 31. मई, 2016

प्रेषक,

अरविन्दर सिंह, भा०व०से०
मिशन निदेशक,
बिहार राज्य बागवानी मिशन, पटना।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
बिहार, पटना।

विषय : **विज्ञापन प्रकाशित करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में सूचित करना है कि बिहार बागवानी विकास सोसाईटी, पटना अन्तर्गत लेखा कार्यों के सम्पादन हेतु लेखापाल की सेवा अनुबंध पर सेवा प्रदाता चार्टड एकाउण्टेंट फर्म के माध्यम से प्राप्त करने का प्रस्ताव आमंत्रण प्रकाशित किया जाना है।

तद्नुसार विज्ञापन की पाँच स्वच्छ टंकित प्रतियाँ सी. डी. सहित इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है। कृपया अविलम्ब सभी प्रमुख राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करने की कृपा की जाय।

अनुलग्कः **यथोक्त।**

विश्वासभाजन

31/5/16

(अरविन्दर सिंह)
मिशन निदेशक,
बिहार राज्य बागवानी मिशन, पटना।

Accountant Adv.

लेखा कार्यों के सम्पादन हेतु लेखापाल की सेवा अनुबंध पर प्राप्त करने के लिए चार्टर्ड एकाउण्टेंट फर्म के चयन हेतु निविदा प्रपत्र

800 001

लेखा कार्यों के सम्पादन के लिए लेखापाल की सेवा अनुबंध पर सेवा प्रदाता चार्टड एकाउण्टेंट फर्म के माध्यम से प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव आमंत्रण।

बिहार बागवानी विकास सोसाईटी, पटना के अधीन राज्य के 38 जिलों एवं मुख्यालय में अस्थायी व्यवस्था के तहत संविदा के आधार पर सेवा प्रदाता चार्टड एकाउण्टेंट फर्म के माध्यम से सुयोग्य लेखापालों का नियोजन किया जाना है।

चार्टड एकाउण्टेंट फर्म के चयन के लिए बिहार राज्य में अवस्थित सक्षम एवं योग्य सेवा प्रदाता चार्टड एकाउण्टेंट फर्मों से निम्नलिखित शर्तों के अधीन निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैंः–

1. चार्टड एकाउण्टेंट फर्म के चयन हेतु तकनीकी योग्यता/शर्तेंः–

I. चार्टड एकाउण्टेंट फर्म ICAI (Institute of Chartered Accountant India), Delhi के अधीन पंजीकृत हो तथा फर्म का पंजीकृत कार्यालय बिहार में अनिवार्य रूप से अवस्थित हो (पंजीयन प्रमाण पत्र तकनीकी निविदा के साथ संलग्न किया जायेगा)।

II. लेखा/अंकेक्षण कार्यों का कम से कम 3 वर्ष या अधिक वर्षों का अनुभव (प्रमाण सहित) होना चाहिए।

III. गत 3 वर्षों का टर्न ओवर न्यूनतम ₹5.00 लाख या अधिक प्रति वर्ष हो।

IV. चार्टड एकाउण्टेंट फर्म का Constitution Certificate संलग्न करना होगा।

V. फर्म देश के किसी हिस्से में ब्लैक लिस्टेड नहीं हो तथा जिनकी सेवा पूर्व में किये गये करारों में संतोषप्रद रही हो (शपथ पत्र संलग्न करना होगा)।

VI. चयनित चार्टड एकाउण्टेंट फर्म को मो० ₹2.00 लाख रूपये मात्र की बैंक गारण्टी देनी होगी एवं कार्य नहीं कर सकने के स्थिति में यह राशि जब्त कर ली जायेगी।

VII. चार्टड एकाउण्टेंट फर्म का कार्यकाल एक वर्ष का होगा जिसे संतोषप्रद सेवा की स्थिति में अवधि विस्तार दिया जा सकता है।

VIII. फर्म का तकनीकी निविदा प्रस्ताव के साथ मो० ₹50,000/–(पचास हजार) रूपये मात्र का सुरक्षित जमा राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट मिशन निदेशक, बिहार हॉर्टीकल्चर डेभलपमेंट सोसाईटी, पटना के नाम से संलग्न करना होगा। सुरक्षित जमा राशि के बगैर प्राप्त निविदा को अस्वीकृत कर दिया जायेगा। असफल निविदादाताओं को मो० ₹50,000/–(पचास हजार) की सुरक्षित जमा राशि वापस कर दी जायेगी।

IX. तकनीकी एवं वित्तीय निविदा में सफल निविदादाता फर्मों को पैनलबद्ध किया जायेगा तथा बिहार बागवानी विकास सोसाईटी, पटना तीन प्रमण्डलों के लिए एक सेवा प्रदाता चार्टड एकाउण्टेंट फर्म को कार्य आवंटित करेगी।

X. सेवा प्रदाता चार्टड एकाउण्टेंट फर्म के चयन के प्रस्ताव की सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत कार्यादेश निर्गत होने की स्थिति में सेवा प्रदाता चार्टड

एकाउण्टेंट फर्म द्वारा एक माह के अन्दर अर्हत्ता प्राप्त योग्य उम्मीदवार का चयन कर बिहार बागवानी विकास सोसाईटी को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

XI. सभी प्रस्ताव/किसी प्रस्तावों को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार मिशन निदेशक, बिहार राज्य बागवानी मिशन के पास सुरक्षित रहेगा।

2. चार्टड एकाउण्टेंट फर्म का वित्तीय ऑफरः—

चार्टड एकाउण्टेंट फर्म द्वारा सेवा कर आदि की कटौती करने की शर्त के अधीन ही बिहार हॉर्टीकल्चर डेभलपमेंट सोसाईटी, पटना के द्वारा एकरारनामा किया जायेगा।

उपरोक्त निर्णयानुसार आउटसोर्सिंग फर्म राष्ट्रीय बागवानी मिशन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री बागवानी मिशन कार्यक्रम एवं अन्य कार्यक्रमों में B.Com/M.Com (Tally की जानकारी आवश्यक) योग्यता वाले Accountant के लिए निर्धारित मानदेय ₹25,000/—(पच्चीस हजार रूपये) प्रतिमाह में से कितना भुगतान करेगा उसका पूर्ण विवरण यथा सेवा प्रदाता का हिस्सा एवं विभिन्न टैक्स मदों में किए जाने वाले भुगतान के प्रतिशत को स्पष्ट रूप से अंकित करना होगा तथा उसे मुहरबंद लिफाफे में जिसके उपर भुगतान प्रस्ताव लिखा हो, के माध्यम से ऑफर देना होगा।

सेवा शुल्क	सेवा कर	बीमा एवं अन्य वैधानिक शुल्क	कोई अन्य शुल्क/प्रभार	Accountant को कुल देय राशि

नोटः— भविष्य में कोई कर लागू होता है, तो उसके भुगतान का दायित्व चार्टड एकाउण्टेंट फर्म का होगा।

3. निविदा की शर्तेः—

I. चार्टड एकाउण्टेंट फर्म अपनी निविदा दो भागों में समर्पित करेगी। निविदा का पहला भाग तकनीकी योग्यता 'कंडिका 1' पर आधारित होगा, जिसमें फर्म का पूर्ण विवरण, क्षमता एवं सक्षमता का प्रमाण देना होगा।

II. निविदा भाग दो में चार्टड एकाउण्टेंट फर्म द्वारा वित्तीय ऑफर 'कंडिका 2' के अनुरूप समर्पित किया जायेगा, जिसमें फर्म Accountant को ₹25,000/— में से वैधानिक दायित्वों, टैक्स आदि को काटकर दिये जाने वाली राशि का उल्लेख करेगी। जिस फर्म द्वारा कुल न्यूनतम कटौति (Inclusive of Service Charges, Service tax, insurance and other legal charges) की जायेगी अर्थात जिस फर्म द्वारा लेखापाल को अधिकतम मानदेय दिया जायेगा, उसी फर्म की दर को L1 मानी जायेगी।

III. वित्तीय प्रस्ताव मात्र वैसे हीं फर्मों के खोले जायेंगे, जो तकनीकी रूप से उपयुक्त पाये जायेंगे।

IV. अन्य शर्तें, यदि कोई होगी तो उसे निविदा खोलने के समय घोषित की जा सकती है।

V. पहले लिफाफे में निविदादाता की तकनीकी पृष्ठभूमि तथा दूसरे लिफाफे में दर का उल्लेख रहेगा। पहले लिफाफे के उपर ''तकनीकी प्रस्ताव'' एवं दूसरे लिफाफे के उपर ''वित्तीय प्रस्ताव'' अंकित रहेगा। दोनों लिफाफों को एक बड़े लिफाफे में बंद कर उस पर बड़े—बड़े अक्षरों में ''बिहार बागवानी विकास सोसाईटी, पटना अन्तर्गत लेखा कार्यों के लिए निविदा'' अंकित किया जायेगा।

4. Accountant की पात्रताः—

I. B.Com/M.Com की उपाधि प्राप्त हो तथा तथा Tally (टैली) का ज्ञान अनिवार्य रूप से हो।

II. Accounting एवं Tally में कम से कम दो वर्षों का कार्य अनुभव अनिवार्य होगा।

III. आयु सीमा दिनांक 01.08.2015 को बिहार सरकार के कोटिवार निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा से अधिक नहीं होगी। बिहार सरकार के कोटिवार आरक्षण नियमों का पालन किया जायेगा।

IV. बिहार हॉर्टीकल्चर डेभलपमेंट सोसाईटी, पटना द्वारा लेखापाल को कुल मानदेय मो० ₹25,000/— (पच्चीस हजार रूपये) प्रतिमाह की दर से दिया जायेगा।

V. अनुबंध अवधि एक वर्ष की होगी। कार्य संतोषजनक होने पर अनुबंध का विस्तार किया जा सकता है।

VI. चयनित Accountant सहायक निदेशक उद्यान के अधीन एवं मुख्यालय में योगदान कर बिहार बागवानी विकास सोसाईटी, पटना द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रम के लेखा कार्यों का सम्पादन करेंगे।

VII. Accountants का कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर बिना सूचना के ही उनकी सेवा चार्टड एकाउण्टेंट फर्म को वापस कर दी जायेगी।

Accountant की सेवा कंडिका—2 में अंकित नियत दर पर उपलब्ध कराने के लिए इच्छुक चार्टड एकाउण्टेंट फर्मों से निविदा दिनांक 28.06.2016 को अपराह्न 3.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। निविदा उसी दिन दिनांक 28.06.2016 को अपराह्न 4.30 बजे खोला जायेगा। निविदा प्रपत्र मिशन निदेशक, बिहार बागवानी विकास सोसाईटी, पटना के कार्यालय पंत भवन, द्वितीय तल, बेली रोड, पटना को हाथों—हाथ या निबंधित डाक द्वारा उपर्युक्त निर्धारित तिथि तक समर्पित किया जा सकता है।

बिहार बागवानी विकास सोसाईटी, पटना को बिना कारण बताये निविदा को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

निविदा www.horticulture.bih.nic.in पर भी देखा जा सकता है।

मिशन निदेशक,
बिहार राज्य बागवानी मिशन, पटना।

अनुसूची–1

सेवा प्रदाता चार्टड एकाउण्टेंट फर्म के चयन हेतु तकनीकी निविदा के लिए आवदेन प्रपत्र

1. सेवा प्रदाता चार्टड एकाउण्टेंट फर्म का नामः– ....

....

2. निबंधन संख्या एवं तिथिः–...

3. निबंधन का अधिनियमः–..

4. प्रोपराइटर/प्रबंध निदेशक/निदेशक का नामः–...

5. पिता/पति का नामः–..

6. निबंधित कार्यालय का पूरा पताः–...

7. दूरभाष संख्या/फैक्स संख्या/ई. मेलः–...

8. भारत सरकार/राज्य सरकार/बोर्ड/निगम में सेवा प्रदाता के रूप में अनुभव (प्रमाण पत्र/आदेश की प्रति संलग्न करें):–

क्र. सं.	वर्ष	विभाग/कार्यालय का नाम	कर्मियों की सं.	कर्मियों का स्तर
1				
2				
3				
4				

9. विगत 3 वर्षों का टर्न ओवर (कागजात संलग्न करें)

2012–13 :–

2013–14 :–

2014–15 :–

10. बिहार में कहाँ–कहाँ कार्यालय है:–

क्र. सं.	शहर	कार्यालय का नाम	स्थान पता	प्रभारी का नाम एवं सम्पर्क नं0
1				
2				
3				
4				

11. सेवा प्रदाता चार्टड एकाउण्टेंट फर्म के निबंधन का विवरणः– ....

....

12. सेवा प्रदाता चार्टड एकाउण्टेंट फर्म को देश के किसी भी हिस्से में ब्लैक लिस्टेड नहीं होने/न्यायालय द्वारा अनुबंध खारिज हेतु दंडित नहीं होने से संबंधित शपथ पत्र (नोटरी पब्लिक का शपथ पत्र संलग्न करें)।

13. कम से कम विगत तीन वर्षों का दाखिल आयकर रिटर्न की प्रति।

14. सुरक्षित जमा राशि ₹50,000/–(पचास हजार) मात्र का डिमांड ड्राफ्ट मिशन निदेशक, बिहार हॉर्टीकल्चर डेभलपमेंट सोसाईटी, पटना के पदनाम से होना चाहिए।

बैंक का नाम एवं शाखा	राशि	डिमाण्ड ड्राफ्ट सं0/तिथि

15. घोषणा पत्रः–

एतद् द्वारा घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त विवरणी मेरी जानकारी में एवं अभिलेखों के आधार पर सत्य है। भविष्य में कोई भी सूचना असत्य/गलत पाये जाने पर मेरी संस्था/चार्टड एकाउण्टेंट फर्म के विरूद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जा सकती है।

निविदाकर्त्ता का हस्ताक्षर एवं पूरा पता

स्थानः–

पताः–

अनुसूची–2

सेवा प्रदाता चार्टड एकाउण्टेंट फर्म के चयन हेतु वित्तीय निविदा प्रपत्र

1. सेवा प्रदाता चार्टड एकाउण्टेंट फर्म का नामः– ....

....

2. निविदादाता का नाम एवं पदनामः–...

....

3. सेवा प्रदाता चार्टड एकाउण्टेंट फर्म का निबंधित कार्यालय का पूरा पताः– ....

....

4. दूरभाष संख्या/फैक्स संख्या/ई. मेलः–...

5. पदवार सेवा शुल्क/ई० पी० एफ०/बीमा शुल्क आदि करों की कटौती एवं भुगतेय राशि का विवरणः–

सेवा शुल्क	सेवा कर	बीमा एवं अन्य वैधानिक शुल्क	कोई अन्य शुल्क/प्रभार	Accountant को कुल देय राशि

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त तथ्य मेरी जानकारी में सही है। भविष्य में कोई भी सूचना असत्य/गलत पाये जाने पर मेरे विरूद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जा सकती है।

निविदाकर्त्ता का नाम एवं हस्ताक्षर

स्थानः–

पताः–

अनुसूची–3

बिहार बागवानी विकास सोसाईटी में संविदा पर नियोजन हेतु सेवा प्रदायी संस्था/चार्टड एकाउण्टेंट फर्म द्वारा निविदा समर्पित करने एवं उनका चयन करने हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया आदि से संबंधित सामान्य अनुदेश।

बिहार बागवानी विकास सोसाईटी, पटना, उद्यान निदेशालय, कृषि विभाग के अधीन स्वायत संस्था है जो बागवानी विकास की विभिन्न योजनाओं का संचालन करता है। यह सोसाईटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अधीन एक निबंधित संस्था है। इसका मुख्यालय पटना में अवस्थित है तथा राज्य के सभी 38 जिलों में जिला बागवानी विकास समिति गठित है।

बिहार बागवानी विकास सोसाईटी में लेखा कार्यों के सम्पादन हेतु चार्टड एकाउण्टेंट फर्म के माध्यम से सुयोग्य लेखापालों की सेवा अनुबंध पर प्राप्त किया जायेगा।

सेवा प्रदाता चार्टड एकाउण्टेंट फर्म के माध्यम से नियोजित व्यक्ति को बिहार बागवानी विकास सोसाईटी मुख्यालय अथवा किसी भी क्षेत्रीय कार्यालय में पदस्थापित करेगी।

लेखापाल हेतु सेवा शर्तः

1 सेवा प्रदाता चार्टड एकाउण्टेंट फर्म के माध्यम से नियोजित व्यक्ति को लेखा कार्य में किसी प्रकार के दूराचार/कर्त्तव्यहीनता/अक्षमता/लापरवाही/असंतोषजनक कार्य पाये जाने की स्थिति में कार्यमुक्त किया जा सकता है।

2 बिहार बागवानी विकास सोसाईटी के कार्यालयों में अस्थाई व्यवस्था के तहत संविदा के आधार पर निर्धारित ₹25,000/– प्रति माह मानदेय के आधार पर लेखापाल की आवश्यकता है। सेवा प्रदाता चार्टड एकाउण्टेंट फर्म के माध्यम से लेखापाल के पद पर नियोजित व्यक्तियों के द्वारा किसी भी प्रकार के सरकारी या स्थायी नियोजन का दावा मान्य नहीं होगा।

सेवा प्रदाता चार्टड एकाउण्टेंट फर्म की सेवा समाप्त की जाती है, तो उक्त कर्मियों की सेवा भी उसी तिथि से स्वतः समाप्त हो जायेगी।

3 कंडिका संख्या 2 में वर्णित लेखापाल के पदों पर नियोजन सेवा प्रदाता चार्टड एकाउण्टेंट फर्म के माध्यम से संविदा के आधार पर तत्काल एक वर्ष की अवधि के लिए किया जायेगा। सोसाईटी को आवश्यकता होने पर संतोषजनक कार्य करने वाली संस्था के सेवा का नवीकरण किया जा सकेगा।

4 सेवा प्रदाता चार्टड एकाउण्टेंट फर्म द्वारा बिहार बागवानी विकास सोसाईटी के अधीनस्थ कार्यालयों के लिए संविदा पर नियोजन होने वाले व्यक्तियों का नियोक्ता, नियोजन करने वाली सेवा प्रदाता चार्टड एकाउण्टेंट फर्म ही होगी। सेवा प्रदाता चार्टड एकाउण्टेंट फर्म को इन नियोजित व्यक्तियों के लिए निर्धारित मानदेय का

भुगतान समेकित रूप से सोसाईटी द्वारा किया जायेगा। नियोक्ता सेवा प्रदाता चार्टड एकाउण्टेंट फर्म नियोजित व्यक्तियों को मानदेय का भुगतान करेगी।

5 नियोजित होने वाले व्यक्तियों का बिहार बागवानी विकास सोसाईटी के किसी कार्यालय या पदाधिकारी के रूप में किसी प्रकार का अधिकार नहीं होगा। सेवा प्रदाता चार्टड एकाउण्टेंट फर्म लेखापालों के साथ अनुबंध करेंगे एवं सेवा प्रदाता चार्टड एकाउण्टेंट फर्म बिहार बागवानी विकास सोसाईटी, पटना के साथ अनुबंध करेगी।

6 किसी भी परिस्थिति में संविदा पर की गई सेवा सोसाईटी में स्थाई नियोजन का आधार नहीं होगा।

7 बिहार में श्रम संसाधन विभाग एवं अन्य केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार के विभागों द्वारा ऐसे नियोजन के लिए नियोजित होने वाले व्यक्तियों के मानदेय में से की जाने वाली कटौतियों तथा PF बीमा एवं अन्य प्रकार की कटौतियों का भुगतान सेवा प्रदाता चार्टड एकाउण्टेंट फर्म द्वारा संबंधित व्यक्तियों के मानदेय से कटौती कर अथवा अपने शुल्क से संबंधित एकाउंट में जमा की जायेगी। इस प्रकार की कटौतियाँ जमा करने के लिए बिहार बागवानी विकास सोसाईटी उत्तरदायी नहीं होगी।

8 सेवा प्रदाता चार्टड एकाउण्टेंट फर्म को नियोजित लेखापालों का प्रतिमाह एकमुस्त निर्धारित मानदेय भुगतान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा। मानदेय की गणना संबंधित कर्मचारी के कार्य दिवस/अनुपस्थिति प्रतिवेदन के आधार पर की जायेगी।

9 **आचरण प्रमाण पत्रः–**

स्थानीय पुलिस थाने से जहाँ–जहाँ विगत पाँच वर्षों से आवेदक एक वर्ष से अधिक समय तक निवास किया हो, के साथ उसे पैतृक आवासीय पते के थाने से आचरण सत्यापन प्रमाण–पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अपराधिक मामले में नामजद व्यक्ति/चार्जसीटेड व्यक्ति या सजा प्राप्त किया व्यक्ति इस नियोजन हेतु पात्र नहीं होंगे।

10 **चयन की प्रक्रियाः–**

10.1 संविदा पर नियोजन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित आरक्षण नियमों (100 बिन्दुओं के आदर्श रोष्टर बिन्दू आदि) का पालन कर किया जायेगा।

10.2 शैक्षणिक योग्यता का सत्यापन संबंधित संस्थान से कराया जायेगा। प्रमाण–पत्र फर्जी पाये जाने पर विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।

10.3 उम्र सीमाः– नियोजन हेतु अभ्यार्थी की आयु निम्नवत् रहेगी–

श्रेणी	**उम्र**
सामान्य	न्यूनतम 18 वर्ष अधिकतम 37 वर्ष
पिछड़ा/अत्यंत पिछड़ा जाति	न्यूनतम 18 वर्ष अधिकतम 40 वर्ष
अनु0 जाति/अनु0 जनजाति	न्यूनतम 18 वर्ष अधिकतम 42 वर्ष

(I) उम्र की गणना दिनांक 01.08.2015 को कटऑफ डेट मानकर की जायेगी।

(II) उम्र के सत्यापन का आधार मैट्रिकुलेशन का प्रमाण–पत्र होगा।

10.4 इच्छुक/योग्य अभ्यर्थियों का चयन–सेवा प्रदाता द्वारा रिक्त पदों के विरूद्ध विज्ञापन प्रकाशित कराकर प्रत्येक पद के लिए 3–5 अभ्यार्थियों का चयन किया जाएगा। अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले/प्राथमिकता वाले अभ्यार्थियों की सेवा उनके पूर्ण बायोडाटा सहित सोसाईटी को उपलब्ध कराया जाएगा।

11. सेवा प्रदाता चार्टड एकाउण्टेंट फर्म नियोजित होने वाले प्रत्येक पद का औसतन 2–3 गुणा अभ्यार्थियों के नामों की सूची सोसाईटी को अनुबंध पर कार्य करने हेतु उपलब्ध करायगी। मिशन निदेशक, बिहार राज्य बागवानी मिशन की अध्यक्षता में गठित मूल्यांकन समिति द्वारा अंतर्वीक्षा/साक्षात्कार आयोजित किया जाएगा तथा नाम की अनुशंसा की जाएगी। इसी अनुशंसित व्यक्ति/अभ्यार्थी की सेवा चार्टड एकाउण्टेंट फर्म द्वारा सोसाईटी को अनुबंध पर कार्य करने हेतु उपलब्ध कराई जाएगी।

अनुसूची–4

एकरारनामा पत्र

यह एकरारनामा पटना में दिनांक .... को

1. बिहार बागवानी विकास सोसाईटी, द्वितीय तल, पन्त भवन, जवाहर लाल नेहरू मार्ग (बेली रोड), पटना–800001

एवं

2. मेसर्स ....
के बीच किया जा रहा है।
3. बिहार बागवानी विकास सोसाईटी, पटना द्वारा दिनांक ....को सोसाईटी के अधीन आउटसोर्सिंग द्वारा लेखापाल के पदों पर नियोजन हेतु मेसर्स .... को उनके द्वारा समर्पित निविदा को उपयुक्त पाते हुए निम्न शर्तों के अनुसार सेवा प्रदाता चार्टड एकाउण्टेंट फर्म के रूप में चयन कर अनुबंधित करने का निर्णय लिया गया है।
4. इस कार्य से संबंधित एकरारनामा सामान्यतः एक वर्ष के लिए वैध होगा। परन्तु असंतोषजनक होने पर बीच में भी एकरारनामा रद्द करने का अधिकार मिशन निदेशक को प्राप्त होगा।
5. चयन हेतु उम्मीदवार की आयु सीमा नियोजन वर्ष के पहली अगस्त अर्थात 01.08.2015 को न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 37 वर्ष सामान्य हेतु, पिछड़ा वर्ग हेतु 40 वर्ष तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु 42 वर्ष होगी।
6. सेवा प्रदाता चार्टड एकाउण्टेंट फर्म द्वारा नियोजित होने वाले लेखापाल पद के विरूद्ध मेधा/प्राथमिकता के आधार पर चयन कर संबंधित कर्मी की सेवा सोसाईटी को उपलब्ध करायगी।
7. चयनित कर्मी की सेवा बिहार राज्य स्थित सोसाईटी के किसी भी कार्यालय में ली जायेगी।
8. सेवा प्रदाता चार्टड एकाउण्टेंट फर्म का कार्यकाल एक वर्ष का होगा जिसे संतोषप्रद सेवा की स्थिति में अवधि विस्तार दिया जा सकता है।
9. प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर नियोजित होने वाले पदों की संख्या घटाने या बढ़ाने का अधिकार सोसाईटी के पास सुरक्षित रहेगा।
10. सेवा प्रदाता चार्टड एकाउण्टेंट फर्म को मो० ₹50,000/–(पचास हजार) की सुरक्षित जमा राशि की बैंक गारंटी देनी होगी एवं कार्य नहीं कर सकने की स्थिति में यह राशि जब्त कर ली जायेगी।
11. बिहार बागवानी विकास सोसाईटी, पटना के अधीन लेखापाल के पदों पर कर्मियों का नियोजन सेवा प्रदाता चार्टड एकाउण्टेंट फर्म के माध्यम से संविदा के आधार पर किया जायेगा।
12. सेवा प्रदाता चार्टड एकाउण्टेंट फर्म के माध्यम से नियोजित व्यक्ति को सोसाईटी कार्य में किसी प्रकार के दूराचार/कर्त्तव्यहीनता/अक्षमता/लापरवाही/असंतोषजनक कार्य पाये जाने की स्थिति में कार्यमुक्त किया जा सकता है।

13. सेवा प्रदाता चार्टड एकाउण्टेंट फर्म के माध्यम से नियोजित व्यक्तियों के द्वारा किसी प्रकार के सरकारी या स्थायी नियोजन का दावा सोसाईटी को मान्य नहीं होगा।
14. किसी कारण से यदि सेवा प्रदाता चार्टड एकाउण्टेंट फर्म की सेवा समाप्त की जाती है तो उक्त कर्मियों की संवा भी उसी तिथि से स्वतः समाप्त हो जायेगी।
15. किसी भी नियोजित कर्मी को हटाने के पूर्व मिशन निदेशक से आदेश प्राप्त कर लेना अनिवार्य होगा। बिना आदेश के किसी भी कर्मी को अपने मन से हटाना एकरारनामा के विरूद्ध माना जाएगा।
16. दोनों पक्ष द्वारा एक माह पूर्व सूचना देकर एकरारनामा को रद्द किया जा सकता है।
17. सोसाईटी के अधीनस्थ कार्यालयों में कार्य पर आने वाले कर्मियों को पदग्रहण के लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
18. सेवा प्रदाता चार्टड एकाउण्टेंट फर्म द्वारा जमा कराए गए प्रमाण पत्रों में किसी भी समय त्रुटि पाए जाने पर सोसाईटी द्वारा एकरारनामा को रद्द किया जा सकता है।
19. किसी भी समस्या या विवाद के संबंध में मिशन निदेशक, बिहार बागवानी विकास सोसाईटी, पटना का निर्णय अंतिम होगा।
20. निर्धारित किसी भी मापदंड/नियम जो सोसाईटी द्वारा निर्धारित है, के उल्लंघन होने पर सेवा प्रदाता चार्टड एकाउण्टेंट फर्म पूर्ण रूप से जिम्मेवार होगी तथा ऐसे में मिशन निदेशक, बिहार बागवानी विकास सोसाईटी, पटना उनका एकरारनामा रद्द करने के लिए स्वतंत्र होंगे।
21. निधि की अनुपलब्धता या अन्य किसी कारण से भुगतान के विलम्ब की स्थिति में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति इत्यादि का दावा, जो शर्तों में उल्लेखित नहीं है, मान्य नहीं होगा।
22. सेवा प्रदाता संस्था/चार्टड एकाउण्टेंट फर्म का एक प्रतिनिधि प्रत्येक माह में एक बार कार्यालय में उपलब्ध कराये गए सेवाकर्मियों/पदाधिकारी से आकर परामर्श करेंगे ताकि किसी भी कार्यों का परस्पर आकलन किया जा सके तथा यदि किसी भी प्रकार की कमी हो तो दूर किया जा सके।
23. किसी कारणवश सोसाईटी के आवश्यकतानुसार किसी कर्मी को हटाने का निर्देश सेवा प्रदाता चार्टड एकाउण्टेंट फर्म को दिया जाता है, तो सेवा प्रदाता चार्टड एकाउण्टेंट फर्म द्वारा अबिलम्ब प्रभावी ढंग से हटाने का कार्य किया जायेगा तथा यदि सेवा प्रदाता चार्टड एकाउण्टेंट फर्म किसी कर्मी को हटाना चाहता है, तो उसे सोसाईटी से पूर्वानुमति लेना आवश्यक होगा।
24. उपलब्ध कराये गये कर्मी अनुशंसित होंगे तथा बिहार बागवानी विकास सोसाईटी/बिहार सरकार/भारत सरकार के प्रति वफादार होंगे एवं उनके विरूद्ध किसी कार्य में संलिप्त नहीं होंगे।
25. सोसाईटी को उपलब्ध कराये गये सेवाकर्मी द्वारा सोसाईटी को यदि कोई क्षति पहुँचाया जाता है, तो सेवा प्रदाता चार्टड एकाउण्टेंट फर्म पूर्ण रूप से जिम्मेवार होगी जिसके लिये मिशन निदेशक, बिहार बागवानी विकास सोसाईटी द्वारा दिये गये निर्देश का पालन सेवा प्रदाता चार्टड एकाउण्टेंट फर्म के लिए अनिवार्य होगा।

26. सोसाईटी द्वारा भुगतान के तीन कार्य दिवस के अन्दर सेवा प्रदाता चार्टड एकाउण्टेंट फर्म अपने कर्मचारियों को भुगतान करना सुनिश्चित करेंगे।
27. विभिन्न श्रम एवं औद्योगिक नियमों जैसे– वेजेज एलॉवेन्श, कम्पनसेशन, पी. एफ. बोनस, ग्रेच्युटी, एल. आई. सी. इत्यादि जो कार्यरत कर्मियों से संबंधित है, के पालन का पूर्ण उत्तरदायित्व सेवा प्रदाता चार्टड एकाउण्टेंट फर्म की होगी। साथ ही किसी सेवाकर्मी के दुर्घटनाग्रस्त होने की स्थिति में देय मुआवजा तथा अन्य प्रासंगिक खर्च का भी भुगतान सेवा प्रदाता चार्टड एकाउण्टेंट फर्म द्वारा किया जायेगा।
28. किसी कर्मी को छुट्टी/अनुपस्थिति की स्थिति में सेवा प्रदाता चार्टड एकाउण्टेंट फर्म को अन्य कर्मी की उपलब्धता की वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी जिसके लिए किसी तरह का अतिरिक्त भुगतान सोसाईटी नहीं करेगी।
29. प्रतिवर्ष नियमानुसार प्रत्येक कर्मी का आयकर रिटर्न सेवा प्रदाता चार्टड एकाउण्टेंट फर्म द्वारा जमा किया जायेगा।
30. शर्तों के अवहेलना की स्थिति में सोसाईटी का निम्न अधिकार सुरक्षित होगा।
    1. कार्यादेश रद्द करना।
    2. सुरक्षित जमा राशि से दण्ड स्वरूप यथोचित कटौती करना/जब्त करना।

प्रथम पक्ष

गवाह का नाम, पदनाम एवं हस्ताक्षर

1. ---

   ----

2. ---

मिशन निदेशक,
बिहार बागवानी विकास सोसाईटी,
द्वितीय तल, पन्त भवन, जवाहर लाल
नेहरू मार्ग (बेली रोड), पटना–800001

द्वितीय पक्ष

सेवा प्रदाता चार्टड एकाउण्टेंट फर्म के निदेशक का हस्ताक्षर, नाम एवं पूरा पता